आयोजनागत/ जिला योजना
संख्या–1077/XXIV(8)/2005–92/2005

प्रेषक,

राजेन्द्र सिंह,
उप सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा उत्तरांचल,
श्रीनगर गढ़वाल।

शिक्षा अनुभाग–8 (तकनीकी) देहरादूनः दिनांक 21 फरवरी,2006

विषयः– जिला योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा में स्थित राजकीय ग्रामीण पालीटेक्निक ताकुला की भूमि पर कांटेदार तारबाड हेतु पूंजीगत पक्ष में धनराशि की स्वीकृति।

महोदय

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–2621/नि0प्रा0शि0/जिला योजना/2005–06 दिनांक 26.11.2005 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2005–06 के लिए वार्षिक जिला योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा द्वारा पूजीगत पक्ष में रू0 5.02 लाख का प्राविधान है। जिसके सापेक्ष राजकीय पाली0 द्वाराहाट के छात्रावास तक पहुच मार्ग एवं खेल मैदान के समतलीकरण हेतु अवशेष धनराशि रू0 1.60 लाख की स्वीकृति दी जा चुकी है। अतः तत्क्रम में, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम इकाई अल्मोड़ा द्वारा राजकीय ग्रामीण पाली0 ताकुला की भूमि पर कांटेदार तारबाड़ हेतु उपलब्ध कराये गये आंगणन पर रू0 7.12 लाख (रूपये सात लाख बारह हजार मात्र) की प्रशासकीय / वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, श्री राज्यपाल महोदय इस वित्तीय वर्ष में कुल रू0 3.42 लाख (रूपये तीन लाख बयालीस हजार मात्र) को व्यय की स्वीकृति प्रदान करते है।

2– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/ अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

3– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन /मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

4– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

5– एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

6– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

7– कार्य कराने से पूर्व समस्त स्थल का भली–भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायें।

8– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाए, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

9– निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग लाया जाए।

10– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 के अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक– 4202–शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय–02– तकनीकी शिक्षा–104– बहुशिल्प–आयोजनागत–91– जिला योजना–01– पाली0 का सुदृढ़ीकरण–24–वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

11– यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या–1020/वित्त अनुभाग–3/2006 दिनांक 17.2.2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2. कोषाधिकारी पौड़ी/ अल्मोड़ा।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तरांचल, देहरादून।
4. वित्त अनुभाग–3/ नियोजन अनुभाग।
5. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. प्रधानाचार्य, राजकीय पालीटेक्निक ताकुला, अल्मोड़ा।
7. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय देहरादून।
8. जिलाधिकारी अल्मोड़ा, उत्तरांचल।
9. आयुक्त कुमायूं / गढ़वाल मण्डल, उत्तरांचल।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार शर्मा)
अनुसचिव।